फर्द अहकाम

ओमप्रकाश **बनाम** सरकार वगै०

उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

317/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
10/10/24	पत्रावली पेश हुई. अधिवक्ता पक्ष द्वारा वकालतनामा/कार्ड का अधिकार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक ... पेश हुई 15/10/24	
15/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील अप्रार्थी सं० 2 ने प्रारम्भिक आपत्ति का जवाब प्रा. पत्र पेश किया। पत्रावली शामिल किया गया तथा एक प्रति वकील प्रार्थी को उन्होंने की दिलवाई गई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी सं० 2 की बहस प्रा० पत्र पर सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 21/10/24 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
21/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी का प्रा.पत्र, जवाब प्रा.पत्र, आपत्ति तथा पैरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया गया तथा वकील	

फर्द अहकाम

ओमप्रकाश बनाम सरकार वगैरह

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

केस संख्या 317/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		उभय पक्षों की बहस को सुना लिया गया। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
317 / 2024	27 / 09 / 2024	21 / 10 / 2024

1. ओमप्रकाश जोशी पुत्र हजारीलाल, 9 वैंकटेश्वर कॉलोनी, अजमेर रोड, सोडाला, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार आंधी जिला जयपुर ग्रामीण।
2. बिरदू पुत्र रामपाल गुर्जर, निवासी ग्राम बहलोड, तहसील आंधी जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री राजेश कुमार पारीक :— वकील प्रार्थी
श्री पुष्पेन्द्र शर्मा :— वकील अप्रार्थी सं0 2

प्रार्थना पत्र

अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

—: निर्णय :—

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने एक राजस्व वाद बाबत घोषणा खातेदारी हेतु न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) जमवारामगढ के समक्ष पेश कर रखा हैं, जिसके साथ ही, वाद हक संबंधी होने के कारण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु भी पेश किया गया था, जिसमें दिनांक 05.12.2022 को न्यायालय ने अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी करते हुए अप्रार्थीगण को पाबन्द किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 111, 275, 27, 280 वाके ग्राम बहलोड तहसील आंधी उनके नाम दर्ज हिस्सा 1/2 हस्तान्तरण बेचान नही करें, तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त आदेश की पालनार्थ न्यायालय ने पत्र कमांक 2022/850 से 852 दिनांक 06.12.022 को तहसीलदार आंधी जो प्रकरण में अप्रार्थी थे और जिन्हे रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया था को जारी किया। उक्त आदेश दिनांक 05.12.2022 की प्रति मय पालनार्थ पत्र दिनांक 06.12.2022 को 2:00 पी.एम. पर तहसीलदार आंधी को दे दी गयी थी और उसकी रिसिव्ड ले ली गई थी। उक्त भूमियों के रिकार्ड में कोई परिवर्तन नही करने की सूचना के बावजूद तहसीलदार आंधी ने ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नामा0 की एन्ट्री राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में करते हुए और खातेदारों के नामों को परिवर्तित करते हुए नामा0 का इन्द्राज जमाबन्दी में दिनांक 06.12.2022 को 4:01पी.एम. पर कर दिया जबकि राजस्व रिकार्ड को यथावत रखने हेतु तहसीलदार को पाबन्द करने के आदेश की जानकारी तहसीलदार को 2:00पी.एम. पर ही हो चुकी थी और स्वय को न्यायालय के आदेशो की पालना हेतु आबद्व जानते एंव समझने हुए श्री तहसीलदार आंधी ने जमाबन्दी में नामान्तकरण का इन्द्राज करते हुए विक्रेता उमाशंकर, मदनलाल के नाम की जगह अप्रार्थी सं0 2 बिरदू के नाम का इन्द्राज कर दिया। अतः भूमि खसरा नम्बर 111, 275, 279, 280 वाके ग्राम बहलोड तहसील आंधी के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में तहसीलदार आंधी द्वारा दिनांक 06.12.2022 को त्रुटिपूर्ण तरीके से किये गये अंकन जिसके द्वारा नामान्तकरण सं0 570 दिनांक 05.12.2022 को अंकन और अप्रार्थी सं0 2 बिरदू का नाम दर्ज किया गया, को हजब किया जाकर दिनांक 06.12.2022 को 2:00 पी.एम. दोपहर में जमाबन्दी का रिकार्ड यथावत किया जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलबी की जारी की गई। अप्रार्थी सं0 2 की ओर से अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र शर्मा ने वकालतनामा पेश किया तथा दिनांक 15.10.2024 को प्रारम्भिक आपत्ति मय जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील अप्रार्थी सं0 2 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि उनवानी प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट के तहत पेश किया गया है। 136 एल.आर.एक्ट के तहत ऐसी गलतियों का शुद्धिकरण करने का प्रावधान है जो कि लिपिकीय त्रुटि हों तथा प्रकरण मुख पृष्ठ पर ही गलती होना प्रतीत हो। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन एवं प्रकरण के तथ्य अनुसार अप्रार्थी सं0 2 की कय शुदा खातेदारी भूमि के बैचान का नामा0 जरिये नामा0 सं0 570 ग्राम पंचायत की पाक्षिक बैठक में समक्ष पंचायत कोरम दिनांक 05.12.2022 को ही स्वीकार होकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो गया था। उक्त खसरा नमबरान पर माननीय ए0सी0एम0 जवमारामगढ के स्थगन की तहरीर दिनांक 06.12.2022 को जारी हुई एवं प्रार्थी द्वारा दिनांक 05.12.2022 को स्वीकृत नामा0 के अमल को स्टे आदेश के बाद में स्वीकृत/अमल होना बताकर उनवानी प्रार्थना पत्र 136 एलआरएक्ट में शुद्धिकरण करवाना चाहता है जो किसी भी सूरत में एवं विधि के आज्ञापक प्रावधानों के तहत शुद्धिकरण प्रार्थना पत्र की परिधि में नही आने से प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। धारा 136 एल0आर0एक्ट में उन्ही गलतियों का शुद्धिकरण किया जाने का प्रावधान है जो दस्तावेज मुख्यपृष्ठ पर स्पष्ट प्रतीत हो रही हों। जबकि यहा पर एक पंजीकृत विक्रयपत्र का नामा0 निहित रिंति से समक्ष ग्राम पंचायत कोरम स्वीकार होकर राजस्व में अमल दरामद हुआ है। अतः प्रार्थी द्वारा मिथ्या, वेग व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को भारी हर्जा खर्चा के साथ खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थी सं0 1 (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/आरटी/2024/734 दिनांक 28.0824 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी सं0 1/पैरोकार सरकार ने जवाब मे निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बहलोड के आराजी खसरा नम्बर 111, 275, 279, 280 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त खसरा नम्बरान सभी काश्तकार पर माननीय न्यायालय एसीएम जमवारामगढ. जयपुर का दिनांक 06.12.2022 से मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश प्राप्त है, का नोट लगा हुआ है। राजस्व ग्राम बहलोड का नामा0 सं0 570 दिनांक 05.12.2022 को ग्राम पंचायत की पाक्षिक बैठक में स्वीकृत किया गया है।

बहस वकील उभय पक्षों एवं पैरोकार सरकार सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, अप्रार्थी सं0 2 के जवाब मय प्रा0 आपत्ति व पैरोकार सरकार के जबाब का अवलोकन करने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार आंधी को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम बहलोड में स्थित उक्त वादांकित भूमि खसरा नम्बर 111, 275, 279, 280 के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दिनांक 06.12.2022 को त्रुटिपूर्ण तरीके से किये गये अंकन जिसके नामा0 सं0 570 दिनांक 05.12.2022 को अंकन और अप्रार्थी सं0 2 बिरदू का नाम दर्ज किया गया, को पूर्व की जमाबन्दी अनुसार राजस्व रिकार्ड यथावत दुरूस्त किया जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 21.10.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़